कार्यालय नगर निगम, अजमेर
पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर – 305001 (राज0)

क्रमांक : न.नि.अज./कां.हा./2016–17/478

दिनांक :18-10-

निविदा–सूचना

नगर निगम, द्वारा अजमेर शहर के आतंकी बन्दर पकड़ने का कार्य करने हेतु 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिये मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी अनुमानित व्यय राशि रू. 8,00,000/–(अक्षरे आठ लाख रूपये) होगी। निविदा प्रपत्र दिंनाक 03.11.2016 को दोपहर 01.:00 बजे तक रू. 500/– नकद जमा कराकर कांजी हाउस (पंचशील) से प्राप्त किया जा सकता हैं। इच्छुक फर्म दिंनाक 03.11.2016 को अपराह् 03:00 बजे तक अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में भरकर मय धरोहर राशि रू. 16,000/– नकद/बैकर्स चैक से जमा करावें। निविदा उसी दिवस को सांय 04:00 बजे खोली जावेगी। कार्य के नियम एवं शर्तो का विवरण प्रपत्र के साथ सलंग्न हैं।

नोट :–

1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. धरोहर राशि के बिना निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
3. शेष शर्तो की जानकारी वेबसाईट www-ajmer.org./www.eproc rajasthan.gov.in / www.sppp.rajasthan.gov.in पर एवं पंचशील स्थित कांजी हाउस में कार्यालय समय दौरान देखी जा सकती है।

प्रभारी (कांजी हाउस)
नगर निगम,अजमेर

उपायुक्त (विकास)
नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

–: आतंकी बन्दर पकड़ने के कार्य हेतु निविदा की नियम व शर्ते :–

1. बन्दरों को पकड़ने का कार्य नगर निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा।
2. बन्दर पकड़ने के सभी प्रकार के पिंजरे (छोटे व बड़े) की व्यवस्था स्वंय संवेदक को अपने स्तर पर करनी होगी।
3. संवेदक द्वारा पकड़े गये बन्दरों की दैनिक रिपोर्ट अनुभाग में प्रस्तुत करनी होगी।
4. पिंजरो को लाने ले जाने के वाहन की व्यवस्था स्वंय संवेदक द्वारा की जाएगी।
5. बन्दरो को निर्धारित भोजन (खाना खुराक) की व्यवस्था स्वंय संवेदक को करनी होगी।
6. पशु क्रूरता नियमों के अन्तर्गत ही बन्दर पकड़ने होगें। यदि नियमों की पालना नहीं होती हैं तथा इस वजह से कोई आपत्ति आती हैं तो समस्त प्रकार के विवाद के लिए स्वंय संवेदक जिम्मेदार होगा।
7. पकड़े हुए बन्दरों को जंगल छुड़वाने हेतु वन विभाग के अधिकृत स्टाफ की प्राप्ति रसीद लेकर ही बंदरों को उनके सुर्पुद करना होगा।
8. बन्दर पकड़ने वाली टीम के ठहरने की व्यवस्था नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।
9. नगर निगम हित में कार्यादेश/अनुबंध कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।
10. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अन्दर मियाद 03 दिवस में 2,000/– के स्टॉप पेपर पर अनुबंध पत्र निगम में प्रस्तुत करना होगा।
11. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम अजमेर होगा।
12. निविदायें बन्द लिफाफे में निर्धारित समय व दिनांक तक ही प्रस्तुत की जा सकेगी। उसके बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. निविदा की दरें शब्दों एवं अंको दोनों में लिखी जावें ताकि स्पष्टता बनी रहे। यदि कोई अंक या शब्दों में ओवर राईटिंग अथवा कटिंग की गई हो तो निविदा अमान्य होगी।
14. अर्नेस्ट मनी निम्न मामलों में जब्त कर ली जावेगी।

1\. जब कार्य आदेश देने के बावजूद निर्देशानुसार कार्य आरम्भ करने में संवेदक असमर्थ रहता हैं।
2\. निविदादाता निर्धारित अवधि में करार को संपादित नहीं करता हैं।
3\. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा के स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस ले लेता हैं।
4\. निविदा की शर्ता की पालना नहीं करता हैं।

15. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।
16. किसी भी विवाद के लिये अन्तिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी का मान्य होगा।
17. अनुबंध के समय निविदा राशि का 3 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी।
18. सर्विस टेक्स के भुगतान का दायित्व स्वंय संवेदक का होगा।
19. रिस्क एण्ड कोस्ट तथा जी.एफ.एण्ड ए.आर. एवं नगर पालिका क्रय नियम प्रभावी होगें।
20. संवेदक को EPF/ESI नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हैं।
21. मैंने सलग्न शर्तो, व निर्देशो का भली–भांति अध्ययन कर लिया हैं। मैं उक्त से सहमत हूं।, सभी शर्ते व नियम स्वीकार हैं।, एवं मैं इनका पालन करूंगा।

हस्ताक्षर संवेदक :–...

नाम :– ....

पता :–...

....

फोन नं0/मो0 नं0:– ....

उपायुक्त (विकास)
नगर निगम, अजमेर